संख्याः 689 /xxiv–3/19/01(41)2018

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली 110092।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 19 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, 2019

विषयः शासनादेश सं0:1332/XXIV-3/2018/01(41)2018, दिनांकः 20 सितम्बर, 2018 द्वारा निरस्त की गयी जी0आर0डी0 वर्ल्ड स्कूल भाऊवाला, देहरादून की अनापत्ति को पुनः बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के प्रस्ताव संख्या–आंग्ल भाषा/7775/निरीक्षण आख्या/2019–20, दिनांकः 24 जून, 2019 के क्रम में अवगत कराना है कि विद्यालय में छात्रा के साथ घटित अप्रिय घटना के कारण शासन के पत्र सं0:1332/XXIV-3/2018/01(41)2018, दिनांकः 20 सितम्बर, 2018 द्वारा विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता हेतु प्रदत्त एन0ओ0सी0 को निरस्त कर दिया गया था। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जी0आर0डी0 वर्ल्ड स्कूल भाऊवाला, देहरादून को सी0बी0एस0ई0,नई दिल्ली से** सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त शाससनादेश के माध्यम से निरस्त की गयी अनापत्ति को बहाल किये जाने की राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम स्कूल प्रबन्धक द्वारा अनिवार्य रूप से उठाये जायेंगें एवं इस दिशा में समय–समय पर मा0 न्यायालय एवं सरकार द्वारा दिये जाने वाले आदेशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। विद्यालय प्रबंधन की चूक से विद्यालय में अध्ययनरत किसी बच्चे की सुरक्षा खण्डित होने अथवा बच्चों को जान–माल का नुकसान होने पर विद्यालय प्रबधक के विरूद्व नियमानुसार सुसंगत कार्यवाही किये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा एवं प्रतिकूल स्थिति होने पर अनापत्ति प्रत्यावर्तित/निरस्त कर दी जायेगी।
2. पूर्व में विद्यालय में घटित घटना हेतु उत्तरदायी विद्यालय/संस्था के निदेशक तथा अन्य समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को विद्यालय में किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जायेगा तथा उन्हें विद्यालय/प्रबन्ध समिति में किसी भी पद पर नहीं रखा जायेगा।
3. विद्यालय परिसर में धूम्रपान व अन्य तम्बाकू उत्पाद एवं मद्यपान का प्रतिषेध तथा यौन उत्पीड़न को पूर्णतया रोकने के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश सं0:792/XXIV(1)2018/04/2017, दिनांकः16 अगस्त, 2018 में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं दिव्यांग छात्रों हेतु विद्यालय में समुचित व्यवस्था की जायेगी।
4. विद्यालय के मुख्य भवन एवं छात्रावास सहित सम्पूर्ण भवन का लोक निर्माण विभाग अथवा किसी तकनीकी निर्माण संस्था से जांच/परीक्षण कराया जायेगा तथा परीक्षण में भवन सुरक्षित पाये जाने पर ही भवन में पठन–पाठन एवं अन्य गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

5. विद्यालय में सुरक्षा कर्मी तैनात किये जायेगें तथा किसी भी आगन्तुक को पहचान के पश्चात् ही विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा।
6. विद्यालय के प्रबन्धन द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून के कार्यालय में विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, शौचालय की व्यवस्था, अग्नि शमन सेवाओं की उपलब्धता एवं अन्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्धों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
7. विद्यार्थियों का समय–समय पर स्वास्थय परीक्षण कराया जायेगा तथा अस्वस्थ पाये जाने की दशा में समुचित चिकित्सीय देखभाल की जायेगी।
8. मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून द्वारा प्रत्येक माह प्रश्नगत विद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा तथा तद्नुसार निरीक्षण आख्या निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. यदि संस्था द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।
10. छात्र–छात्राओं हेतु अलग–अलग छात्रावास की व्यवस्था की जायेगी तथा प्रत्येक छात्रावास के सुरक्षा संबंधी एवं अन्य प्रबन्धों के सम्बन्ध में विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धक द्वारा प्रत्येक दिवस स्वयं निरीक्षण किया जायेगा।
11. विद्यालय के प्रत्येक कक्षा–कक्ष, मुख्य द्वारा, छात्रावास, गैलरी एवं अन्य सभी स्थानों पर सी0सी0टी0कैमरे लगाये जायेगें तथा विद्यालय के प्रबन्धन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी कैमरे फंक्शनल हों। सी0सी0टी0कैमरे न लगे होने अथवा उनके फंक्शनल न होने की स्थिति में अनापत्ति वापस ले ली जायेगी।
12. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
13. संस्था/विद्यालय में शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर वे ही शिक्षक/कर्मचारी रखे जा सकेगें जो राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में रखे जाने हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण करते हों, अर्थात अप्रशिक्षित एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हता से अन्यून शिक्षक/कर्मचारियों को विद्यालय में समायोजित नही किया जायेगा तथा ऐसा पाये जाने पर अनापत्ति वापस ले ली जायेगी।
14. संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में उल्लिखित समस्त प्राविधानों का पालन किया जायेगा।
15. कौंऊसिंल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त स्कूल द्वारा निर्धारित शर्तो/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
16. विद्यालय की पंजीकरण सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
17. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
18. विद्यालय में उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये पर्याप्त स्थान यथा निर्दिष्ट सुरक्षित रहेंगे।
19. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि विद्यालय पूर्व में विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान जैसी स्थिति हो, स्वतः समाप्त हो जायेगें।
20. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

21. विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
22. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था/स्कूल उनका पालन करेगी।
23. विद्यालय तथा विद्यार्थियों से सम्बन्धित सभी अभिलेख निर्धारित प्रपत्रों/पंजिकाओं में रखे जायेंगे।
24. उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(2). भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है तथा स्कूल प्रबंधन द्वारा दिये गये शपथ पत्र में कोई असत्य कथन किया गया है या तथ्यों को छुपाकर कथन किया गया है जो यथा नियमों के अधीन नहीं है तो इसकी जबावदेही/उत्तरदायित्व निदेशक एवं नियन्त्रक अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा एवं साथ ही दी जा रही अनापत्ति निरस्त/वापस कर ली जायेगी तथा स्कूल प्रबंधन एवं संबधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3). उक्त विद्यालयों द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण सम्बन्धी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

(4). संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में उल्लिखित प्राविधान कि 25 प्रतिशत सरकार प्रायोजित कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5). संस्था/स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष U-DISE(Unified District Information System In Education) में सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(6). संस्था/स्कूल द्वारा पर्यावरण के दृष्टिगत स्कूल प्रांगण में समुचित/पर्याप्त संख्या में चौड़ी पत्ती वाले छायादार वृक्ष लगाये जायेगें, स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, सभी सरकारी कार्यक्रमों में यथा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा विद्यालय में वाटर प्यूरीफायर, अग्निशमन तथा हाईजनिक टॉयलेट की व्यवस्था की जायेगी।

(7). संस्था/स्कूल द्वारा Juvenile Justice Act के मानकों का सत्यापन प्रारूप 46 के अनुसार कराने तथा विद्यालयों द्वारा आयकर की धारा 12 क के अन्तर्गत छूट का मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेखों का सत्यापन कराते हुए सूचना निदेशक, मा0शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी एवं उक्त का अनुपालन भविष्य में सुनिश्चित किया जायेगा।

(8). उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने मे किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(9). केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा विद्यालय में छात्र–छात्राओं की सुरक्षा हेतु किये गये सुरक्षा प्रबन्धों के सम्बन्ध में अपने स्तर से संतुष्ट हो जाने के पश्चात् ही प्रश्नगत विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।